



2026: AHC: 51450-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 3972/2026

माधुरी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्यप्रतिपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : निखिल प्रताप सिंह, शरद चंद राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. याची द्वारा निम्नलिखित राहतों हेतु यह तत्काल रिट याचिका दायर की गई है:-

"(i) प्रतिपक्षी संख्या 2 और 3 को अभियुक्त व्यक्तियों-प्रतिपक्षी संख्या 4 से 14 को गिरफ्तार करने हेतु एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, साथ ही कानून के शासन को बनाए रखने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.01.2026, जो थाना अरौल, जिला कानपुर नगर में केस अपराध संख्या 0014 वर्ष 2026 के रूप में बी.एन.एस. (B.N.S.), 2023 की धाराओं 191(2), 115(2), 351, 351(3), 333, 74 के तहत पंजीकृत है, में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु विवेचना अधिकारी को बदलने के लिए परमादेश जारी करना, और आगे याची तथा उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याची के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) प्रतिपक्षी संख्या 2 और 3 को याची और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अभियुक्त व्यक्तियों-प्रतिपक्षी संख्या 4 से 14 को गिरफ्तार करने हेतु अंतरिम परमादेश जारी करने का निर्देश देना।

(iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करना, जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

(iv) याची के पक्ष में याचिका का खर्च प्रदान करना।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस मामले में याची प्रथम सूचनाकर्ता है और उसने 22.01.2026 को विवादित प्राथमिकी दर्ज कराई थी, हालांकि, पुलिस मामले की निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के आलोक में, याची अपनी शिकायत को रेखांकित करने और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए प्रतिपक्षी संख्या 2- पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय कानपुर नगर के समक्ष आवेदन दे सकती है। यदि याची द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रतिपक्षी संख्या 2- पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय कानपुर नगर, वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

13 मार्च, 2026

नदीम

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।